भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 2926**

12.12.2016 को उत्‍तर के लिए

**पेड़ों के काटे जाने पर रोक**

**2926. श्री दर्शन सिंह यादव:**

**श्रीमती रजनी पाटिल:**

**श्री पि. भट्टाचार्य:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले पेड़ों को काटने पर रोक लगाये जाने के कारण राज्यों को हुर्इ राजस्व की हानि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इन प्रभावित राज्यों की क्षतिपूर्ति करने हेतु कोर्इ योजना का प्रस्ताव है या ऐसी कोर्इ योजना पहले से ही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) से (ग) राज्‍यों को राजस्‍व की कोई हानि नहीं होती है क्‍योंकि राष्‍ट्रीय पार्कों, वन्‍यजीव अभयारण्‍यों तथा समुद्र तल से 1000 मीटर (एमएसएल) की ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर अनुमोदित कार्ययोजनाओं के तहत निर्धारित शर्तों के अध्‍यधीन व्‍यावसायिक उद्देश्‍यों के लिए पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध नहीं है।

\*\*\*\*\*